अध्याय-23

व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित प्रयास

पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (औ.प्र.सं.) की स्थापनार्थ नामक केंद्र प्रवर्तित योजना:-

23.1 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय अभिनिर्धारित कौशल क्षेत्रों में युवाओं के प्रशिक्षण हेतु मूलभूत ढांचे का सृजन व विकास करके उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्व-रोजगार आदि की कुशल तथा अर्द्धकुशल जनशक्ति की गुणात्मक व मात्रात्मक आवश्यकता पूरी करने के मुख्य उद्देश्य से पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापनार्थ नामक केंद्र प्रवर्तित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना में 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना/पूर्वोत्तर क्षेत्र में 35 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। कार्यान्वयन की पूर्णता पर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सीट क्षमता विद्यमान 7244 से बढ़कर 16144 हो जाएगी। योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रायोजित अभ्यर्थियों/संकाय के प्रशिक्षण हेतु तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।

23.2 केंद्र प्रवर्तित योजना का कुल परिव्यय 100 करोड़ रू. है। योजना को अब जम्मू एवं कश्मीर पर अन्य केंद्र प्रवर्तित योजना परियोजना के साथ विलयित कर दिया गया है तथा कार्यान्वयन की अंतिम तिथि 31.03.2007 तक बढ़ा दी गई है।

23.3 परियोजना के तहत् प्रगति का जहां तक प्रश्न है, सिविल कार्यों, उपकरणों की अधिप्राप्ति, आवर्ती व्यय तथा केंद्र प्रवर्तित योजना के तकनीकी सहायता घटकों हेतु अनुमोदित कुल 82.36 करोड़ रू. की राशि में से पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम को 58.73 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है। वस्तुपरक प्रगति के अर्थो मे, 10 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा सीएसएस के तहत् शामिल किए गए विद्यमान 21 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के ताजा सृजित किए गए मूलभूल ढांचे में पाठ्यक्रम पहले ही आरंभ कर दिए गए हैं।

23.4 श्रीनगर एवं जम्मू के दो प्रमुख शहरों में 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के साथ वर्ष 1958 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना आरंभ की गई है। इस समय, राज्य में 37 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। अतएव, राज्य में सीटीएस का विकास देश के शेष हिस्सों के विकास से पीछे रहा है। विगत वर्षो के दौरान, राज्य की कठिन स्थिति से प्रणाली को गहरी चोट पहुँची है। निम्न क्षेत्र-वार वितरण के साथ राज्य में कुल 37 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं।

कश्मीर प्रभाग	17
जम्मू प्रभाग	18
लदाख क्षेत्र	02

23.5 21 एन सी वी टी नामोदिष्ट व्यवसायों, 18 इंजीनियरी व्यवसायों तथा शेष गैर इंजीनियरी व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल 263 व्यवसाय ईकाइयाँ कार्य कर रही हैं। समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल सीट क्षमता योजना के कार्यान्वयन के उपरांत 4364 से बढकर 6200 हो जाएगी। योजना हेतु कुल परिव्यय 10वीं योजनावधि के दौरान 37.00 करोड़ रू .है।

23.6 विलयित योजना 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना स्कीम होगी जिसे 10वीं योजनावधि (31.0.2007 तक) के दौरान प्रदान की गई योजना निधियों में से अंतिम रूप दिया जाना है। 10वीं योजना के दौरान योजना के तहत् 100% आवर्त्ती लागत केंद्र सरकार

द्वारा वहा की जाएगी तथा 11वीं योजाा के दौराा संबंधित राज्य सरकारों को सौंप दी जाएंगी।

23.7 वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौराा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों के सुदृढ़ीकरण/आधुािकीकरण हेतु 5 करोड़ रू. का बजटीय प्रावधाा किया गया है। उपर्युक्त प्रावधाा में से, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 6 ाए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों के ािर्माण तथा 6 विद्यमाा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों में विकास/परिवर्ता हेतु प्रथम किस्त के रूप में 3.62 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। 1.37 करोड़ रू.की अय राशि ाए एवं विद्यमाा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों में मशी-ारी/उपकरणों की अधिप्राप्ति तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राज्य ािदेशालय हेतु वाहा/कार्यालय उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई है।

ौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों के उत्कृष्ट केद्रों के रूप में उन्नया हेतु केद्र प्रवर्तित योजाा

23.8 केद्रीय वित्त मंत्री ो अपो बजट भाषण 2004-2005 में देश में 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों के उन्नया हेतु उपायों की घोषणा की है। तदाुरूप वित्त मंत्रालय के परामर्श के आुरूप 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों का घरेलू संसाधाों तथा 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों का विश्व बैंक सहायता के माध्यम से उन्नया करो हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी ग ई है।

23.9 ‘ारेलू संसाधाों से वित्तपोषित किए जाो वाले इा उक्त 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों को 26 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (जम्मू तथा सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा) में इामें स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों की संख्या के आुपात में बांटा गया है। योजाा की कुल लागत 160 करोड़ रू है। वित्त मंत्रालय द्वारा परामर्शित 75.25 के आुपात के मद्देाजर केद्र का हिस्सा 120 करोड़ रूपए है।

23.10 योजाा का उद्देश्य विश्व स्तर का बहु कौशलयुक्त क ार्यबल तैयार करो हेतु विद्यमाा 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों का च्उत्कृष्ट केद्रोंछ के रूप में उन्नया कराा है। योजाा की प्रमुख विशेषताओं में प्रथम वर्ष के दौराा बहुकौशलीय पाठयक्रमों का चलाया जााा तथा इसके उपरांत उद्योगवार समूह दृष्टिकोण, बहु प्रवेश तथा बहु ािर्गत प्रावधाों को अपााकर द्वितीय वर्ष में उन्नत/ विशिष्ट माडयूलर पाठयक्रम तथा प्रशिक्षण के समस्त पक्षों में उद्योग की अधिक एवं सक्रिय भागीदारी को सुािश्चित करो के लिए संस्थाा प्रबंधा समिति के रूप में ािजी-सार्वजािक भागीदारी शामिल है।

23.11 13 ब्राड बेस्ड प्रशिक्षण पाठयक्रमों की पाठयचर्या हेतु उन्नत माडयूल्स को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। योजाा का क ार्याावया सचिव(श्रम एवं ाियोजा) भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्य सचिवों/ा-ादेशको, उद्योग संघों के प्रतिािधियों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों के प्राचार्यों तथा संस्थाा प्रबंधा समिति अध्यक्ष के साथ 5 क्षेत्रीय तथा दस आंचलिक समीक्षा बैठकों का आयोजा करके योजाा का सतत कार्याावया किया जा रहा है। परिणामस्वरूप 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों के लक्ष्य की तुलाा में 80 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों में प्रशिक्षण पाठयक्रमों को पहले ही अगस्त 2005 सत्र से आरंभ कर दिया गया है। शेष 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फरवरी/अगस्त 2006 से आरंभ होगा।

विश्व बैंक सहायता से 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-ाों का उन्नया।

23.12 782.40 करोड़ रू की कुल आुमााित लागत से अपेक्स हाईटेक संस्थाा, बंगलौर के सबलीकरण/विकास के प्रस्ताव सहित 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थााों का परियोजाा प्रस्ताव विश्व बैंक की वित्तीय सहायता हेतु बातचीत करो के लिए आर्थिक मामला विभाग, वित्त मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है। आर्थिक मामला विभाग ो सूचित किया है कि विश्व बैंक इस समय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर एक अध्यया कर रहा है तथा इसके शीघ्र ही पूर्ण हो जाो की संभावाा है।